संख्याः 1227 /XVII–2/2013–10(01)/2009

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला/समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 13 सितम्बर, 2013

विषयः उत्तराखण्ड राज्य में माह जून, 2013 में आयी भीषण प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु/मृत्यु कल्पित के उपरान्त हुई विधवाओं/लापता व्यक्तियों की पत्नियों के लिये "नन्दा देवी विशेष महिला सुरक्षा योजना" प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में माह जून, 2013 में आयी भीषण प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु/मृत्यु कल्पित के उपरान्त हुई विधवाओं/लापता व्यक्तियों की पत्नियों के लिए "नन्दा देवी विशेष महिला सुरक्षा योजना" के अन्तर्गत प्रतिमाह रू0 400/– भरण–पोषण अनुदान प्रदान किये जाने के लिए "परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना की नियमावली वर्ष 2011" के प्राविधानों में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शिथिलता प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– प्रश्नगत योजना हालांकि पूर्व से लागू प्रस्तर–1 में उल्लिखित योजना में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए प्रारम्भ की जा रही है। शिथिलीकरण के फलस्वरूप जिन लाभार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त होगा वे राज्य के कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों से सम्बन्धित है और एक समय विशेष में आयी दैवीय आपदा के फलस्वरूप उन्हें विशेष परिस्थिति में यह सहायता प्रदान की जा रही है। अतः पूर्व से लागू योजना के रहते हुए भी इसे अन्य क्षेत्रों एवं दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के लिए दृष्टांत न बनाया जा सके इसलिए इस योजना का नाम "नन्दा देवी विशेष महिला सुरक्षा योजना" दिया जा रहा है।

2– उक्त योजना रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों की उन महिलाओं के लिए है, जिन्हें आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग के शासनादेश संख्या–598/F/XVIII-(2)/2013-18(15)/2013 दिनांक 20 जुलाई, 2013 के प्राविधानानुसार मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से एकमुश्त रू0 25000/– की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई हो।

3– महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी अन्य योजना का लाभ प्रदान नहीं हो रहा हो।

4– बी0पी0एल0 श्रेणी में चयनित हो अथवा वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 15976/– तथा शहरी क्षेत्र में 21206/– से अधिक नहीं हो।

5– यदि ऐसी महिला के सन्तान है, तो उनकी उम्र 20 वर्ष से कम हो, यदि 20 वर्ष से अधिक उम्र होने पर ऐसे पुत्र अथवा पुत्री स्वयं भी बी0पी0एल0 श्रेणी में आते हों अथवा पूरे परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 15976/– तथा शहरी क्षेत्र में 21206/– से अधिक नहीं हो।

6– यदि भरण पोषण अनुदान स्वीकृति उपरान्त लापता पति वापस आता है, तो अनुदान सुविधा बन्द कर दी जायेगी। विवाहिता की सन्तान यदि भविष्य में बी0पी0एल0 श्रेणी में नहीं रह जाते हैं एवं उनकी वार्षिक आय निर्धारित आय से वृद्धि हो जाती है, तो भरण–पोषण की सुविधा बन्द कर दी जायेगी।

7– ऐसी महिला यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आती है, तो उसे वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति की जायेगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि जब तक सम्बन्धित महिला को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति/भुगतान नहीं होती, तब तक उसे इस योजना से पेंशन जारी रखी जायेगी।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1227 (1)/ XVII–2/2013–10(01)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।